



चिकित्सकों का कानून

भाग-2



A PRODUCT OF : Health Today Group, Hisar

Contact No. : 01662-283072, 98120-58674, 92540-58673

विषय सूची

क्र. सं.	शीर्षक	पेज नं०
1.	बिहार के प्रमाणपत्रधारी अन्य राज्यों में भी एलोपैथिक दवाओं में प्रैक्टिस के अधिकारी : अति. सत्र न्यायाधीश	6-26
2.	दवा विक्रेताओं की जांच के मामले में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला	27-29
3.	बिना सबूत चिकित्सक बरी	30-38
4.	बिहार से प्रमाणपत्रधारी 7 चिकित्सक एक साथ बरी	39-47
5.	माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़	48-53
6.	हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वैद्य विशारद, आयुर्वेद रत्न उपाधि की मान्यता के मामले की पुनः सुनवाई हाईकोर्ट को करने के निर्देश : मा० सुप्रीम कोर्ट का फैसला	54-64
7.	बिहार का पंजीकृत अन्य राज्यों में भी प्रैक्टिस का अधिकारी सरकार की याचिका खारिज : मा० पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय	65-69
8.	अन्य राज्यों से पंजीकृत की प्रैक्टिस में हिमाचल सरकार नहीं करेगी रोक-टोक : मा० हिमाचल हाईकोर्ट का मामला	70-76
9.	राजस्थान बोर्ड से पंजीकृत व हरियाणा बोर्ड में फीस भरने वाला चिकित्सक हरियाणा में प्रैक्टिस का अधिकारी निचली अदालत का आदेश रद्द : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी का निर्णय	77-89
10.	बिहार का प्रमाणपत्रधारी आयुर्वेदिक व एलोपैथिक दवाएं मरीजों को दे सकता है व अपने पास रख सकता है : न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गुड़गांव का फैसला	90-99
11.	बिल के साथ खरीद/बेची दवा नकली पाए जाने पर भी दवा विक्रेता दोषी नहीं	100-118
12.	ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कार से बरामद दवाओं को दवा विक्रेता को वापिस की जाए	119-124
13.	न्यायालय श्री शाम लाल, पी.सी.एस., उप मंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, सरदूलगढ़	125-138
14.	इलैक्ट्रोपैथी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय	139-141

क्रमांक	शीर्षक	पेज नं०
15.	बिल के साथ खरीदी गई दवा जांच में नकली पाए जाने पर दवा विक्रेता दोषी नहीं	142-151
16.	सरकार की याचिका खारिज, बिहार का पंजीकृत अंग्रेजी दवाओं में प्रैक्टिस का अधिकारी : सत्र न्यायालय बठिण्डा का निर्णय	152-162
17.	बिहार से पंजीकृत हरियाणा में एलोपैथिक दवाओं से प्रैक्टिस का अधिकारी : मा० पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट	163-166
18.	केवल दवाएं रखने से ही दोषी नहीं, चिकित्सक बरी	167-176
19.	अनरजिस्टर्ड चिकित्सक भी बन सकते हैं प्रैक्टिस बशर्ते	177-186
20.	राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद पटना (बिहार) से पंजीकृत चिकित्सक झोलाछाप नहीं	187-196
21.	आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथिक चिकित्सा करने का भी अधिकारी	197-202
22.	सन् 1989 से पहले उत्तीर्ण वैद्य विशारद/आयुर्वेद रत्न उपाधिकारी के म.प्र. में रजिस्ट्रेशन हेतु आदेश	203-210
23.	बिहार बोर्ड से रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक धारा 420 से मुक्त	211-213
24.	बिहार (पटना) से रजिस्टर्ड चिकित्सकों की प्रैक्टिस में बाधा न डालें	214-220
25.	बिहार से रजिस्टर्ड चिकित्सक धारा 420 से मुक्त	221-226
26.	आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथिक चिकित्सा करने के अधिकारी	227-233
27.	आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथिक दवाएं प्रयोग के अधिकारी (सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया)	234-269
28.	जुडीशियल मजिस्ट्रेट रोपड़ (पंजाब) का निर्णय	270-271
29.	जब एक व्यक्ति किसी भी प्रांत में नामांकित या पंजीकृत हो जाए तो वह स्वयं देश के किसी भी भाग में चिकित्सा कार्य कर सकता है	272-278
30.	बिहार प्रांत से रजिस्टर्ड वैद्य ने जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में बिना लाइसेंस के एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग करने तथा बेचने में कोई अपराध नहीं किया	279-283
31.	भारत के किसी भी प्रांत का रजिस्टर्ड वैद्य संपूर्ण भारत में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा	284-289

क्रमांक	शीर्षक	पेज नं०
32.	रजिस्टर्ड वैद्य एलोपैथिक औषधियां रख सकते हैं, किंतु बेच नहीं सकते	290-295
33.	मार्डन पैथी से आधुनिक उपकरण रखकर भी वैद्य चिकित्सा कार्य कर सकता है	296-307
34.	इलक्ट्रोपैथी पद्धति के चिकित्सक बेरोकटोक चिकित्सा कार्य करते रहेंगे	308-311
35.	बिहार से रजिस्टर्ड हरियाणा में चिकित्सा कार्य कर सकता है	312-319
36.	इलक्ट्रोपैथी इंस्टीट्यूट अपना कार्य करते रहेंगे	320-322
37.	सीएमएस डिप्लोमा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय	323-334
38.	लापरवाही से हुई मौत पर चिकित्सक दोषी नहीं	335-348
39.	बिहार से रजिस्ट्रेशन संबंधी नियम	349-358
40.	औषधि एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954	359-364
41.	रक्त प्रदाता के मापदण्ड	365-365
42.	हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में पारित हरियाणा स्वास्थ्य कर्मकार विधेयक 2004 के अनुरूप रजिस्ट्रेशन हेतु बोर्ड के गठन, योग्यता, सदस्यों आदि की प्रक्रिया का विवरण	366-377
43.	एक राज्य का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशर दूसरे राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है	378-381
44.	हरियाणा सरकार की याचिका रद्द	382-382
45.	वैद्यविशारद/आयुर्वेदरत्न उपाधिकारी एलोपैथिक दवाओं से चिकित्सा कर सकते हैं	383-384
46.	रजिस्ट्रेशन हेतु सशुल्क आवेदन जमा हैं वे भी चिकित्सा कार्य करने के अधिकारी	385-387
47.	बिना स्वतंत्र गवाह के बरामद दवा मामले में चिकित्सक बरी	388-402
48.	पंजाब सरकार द्वारा बी.ए.एम.एस. चिकित्सकों को दिये गये महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित पत्र	403-406